रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1745] नई दिल्ली, बुधवार, जून 21, 2017/ज्येष्ठ 31, 1939
No. 1745] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 21, 2017/JYAISTHA 31, 1939

lMd ifjogu vkj jktekxZ e=ky;

vf/klpuk

नई दिल्ली, 21 जून, 2017

dk-vk- 1964¼v½.—यतः केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 78(अ), तारीख 04 फरवरी, 1999 द्वारा राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 के 0.000 कि.मी. से 388.000कि.मी. (अजमेर–राजस्थान/गुजरात सीमा) और 388.000 कि.मी. से 516.000 कि.मी. (राजस्थान/गुजरात सीमा–अहमदाबाद)तक का खण्ड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् "प्राधिकरण" संदर्भित किया गया है) को सौंपा है;

और यतः, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम 2008, के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956(1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार की अधिसूचना द्वारा खण्डों के उपयोग के लिए यांत्रिक वाहनों पर निम्नलिखित अनुसार शुल्क उदग्रहित एवं संग्रहित करने हेतु प्राधिकरण को प्राधिकृत किया थाः

(i) राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 8 पर 278.000 कि.मी. से 348.000 कि.मी. तक के खण्ड के लिए (कुल लम्बाई 70.000 कि.मी.) का.आ. संख्या 1714(अ), तारीख 26 जुलाई, 2012 द्वारा।

(ii) राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 8 पर 348.000 कि.मी. से 388.000 कि.मी. और गुजरात राज्य में 388.000 कि.मी. से 388.180 कि.मी. तक के खण्ड के लिए (कुल लम्बाई 40.180 कि.मी.) का.आ. संख्या 2623(अ), तारीख 30 अक्टूबर, 2012 द्वारा।

और यतः भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 14 के प्रावधान के अनुसरण में, प्राधिकरण ने, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण–V के अधीन डिजाइन, निर्माण, वित्त, प्रचालन और हस्तांरण (डीबीएफओटी) आधार पर सार्वजनिक निजी भागीदारी के जरिए राजस्थान और गुजरात राज्य में रा.रा.–8 के 333.585 कि.मी. (डिजाइन चैनेज) (विद्यमान चैनेज 287.400 कि.मी.) से 447.385 कि.मी. (डिजाइन चैनेज) (विद्यमान चैनेज 401.200 कि.मी.) तक के खण्ड (जिसे इसमें इसके पष्चात् ''उक्त खण्ड'' संदर्भित किया गया है) के छह लेन में विकास के लिए 29.07.2016 को प्रस्तुत बोली हेतु मैसर्स उदयपुर टोलवे प्राइवेट लिमिटेड, चांदीवली रोड, साकी नाका, अंधेरी (पूर्व), मुम्बई–400072 (जिसे इसमें इसके पष्चात् ''रियायतग्राही'' संदर्भित किया गया है) के साथ करार किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् ''उक्त करार'' संदर्भित किया है);–

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, सा.का.नि. 838(अ), तारीख 5 दिसम्बर 2008, द्वारा बनाए गए राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 जिनमें सा.का.नि. 950(अ) तारीख 3 दिसम्बर, 2010, सा.का.नि 15(अ), तारीख 12 जनवरी 2011, सा.का.नि. 756(अ), तारीख 12 अक्टूबर 2011, सा.का.नि. 778(अ), तारीख 16 दिसम्बर 2013, सा.का.नि. 26(अ), तारीख 16 जनवरी, 2014, सा.का.नि. 831(अ), तारीख 21 नवम्बर, 2014, सा.का.नि. 02(अ), तारीख 29 दिसम्बर, 2014, सा.का.नि. 220(अ), तारीख 23 मार्च, 2015, सा.का.नि. 585(अ), तारीख 8 जून, 2016 द्वारा संषोधन किया गया था, के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग

अधिनियम,1956 (1956 का 48) की धारा 8(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और अधिसूचना संख्या का.आ.सं. का.आ. सं. 1714 (अ), तारीख 26 जुलाई, 2012 तथा का आ. सं. 2623(अ), तारीख 30 अक्टूबर, 2012 का अधिक्रमण करते हुए, सिवाय उन बातों के जो ऐसे अधिक्रमण से पहले कर ली गई हैं, अथवा करने से लोप करा दी गई हैं, केन्द्रीय सरकार, उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के उक्त खण्ड के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन पर हुए व्यय, निवेषित पूंजी पर ब्याज, युक्तियुक्त प्रत्यागम, यायायात का दबाव और प्राधिकरण तथा रियायतग्राही के बीच हुए उक्त करार की अवधि को ध्यान में रखते हुए, एतद्द्वारा यह अधिसूचित करती है कि सड़क की कुल समकक्ष लम्बाई 120.7255 कि.मी. [जिसमें 113.031 कि.मी. की सड़क तथा 769.45 मीटर की वह संरचना शामिल है (जिसकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है) और समकक्ष लम्बाई 7.6945 कि.मी.] (निर्माण अवधि के दौरान) सहित सारणी 1 के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट दर पर (जिसे उसमें इसके पष्चात् ''आधार दर'' संदर्भित किया है) तथा सड़क की कुल समकक्ष लम्बाई 122.3455 कि.मी. [जिसमें 112.851 कि.मी. की सड़क तथा 949.45 मीटर की वह संरचना शामिल है (जिसकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है) और समकक्ष लम्बाई 9.4945 कि.मी. सहित] (छह लेन का पूरा कर लिए जाने के पश्चात्) चार या अधिक लेन के खण्डों के उपयोग के लिए नीचे सरणी 1 के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट प्रकार के यांत्रिक वाहनों पर शुल्क उद्ग्रहित एवं संग्रहीत किया जाएगा और उक्त रियायतग्राही को वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख को और उस तारीख से तथा प्राधिकरण से पूर्णतः प्रमाणपत्र अथवा अंनतिम प्रमाण पत्र प्राप्त करने पर, जैसी भी स्थिति हो, अथवा राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाषन पर, जो भी बाद में हो, करार में यथाविनिर्दिष्ट समापन की तारीख तक शुल्क को संग्रहीत तथा प्रतिधारित करने हेतु प्राधिकृत करती है। यह शुल्क अधिसूचना बीओटी परियोजना की नियत तारीख से प्रभावी होगी।

lkj.kh 1

okgu dk çdkj	vk/kkj o"k 2007&08 d fy, pkj vFkok vf/kd yu oky jk-jk- lD'ku gr ifr fd-eh- 'kYd dh vk/kkj nj ¼#i, e½
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी संनिर्माण मशीनरी (भं.सं.म.) या अर्थ मूविंग उपस्कर (अ.मू.उ.) या बहुधुरीय वाहन (ब.धु.व.) (चार से छह धुरी वाले)	3.45
बड़े आकार वाले वाहन (सात या अधिक धुरी वाले)	4.20

1. नीचे उद्ग्रहीत और संग्रहीत शुल्क निम्नलिखित टोल प्लाजा (प्लाजाओं) पर, ऐसे टोल प्लाजा (प्लाजाओं) के लिए विनिर्दिष्ट दूरी हेतु शोध्य और संदेय होगाः

टोल प्लाजा (प्लाजाओं) का अवस्थान (चैनेज)	निर्माण अवधि के दौरान		छह लेन का बनाने के बाद	
	लम्बाई (कि.मी. में) जिसके लिए शुल्क संदेय है	दर जिस पर शुल्क संदेय है	लम्बाई (कि.मी. में) जिसके लिए शुल्क संदेय है	दर जिस पर शुल्क संदेय है
रा.रा.–8 के 348.450कि.मी. (विद्यमान चैनेज) (उदयपुर जिले के खांडी ओबरी गांव के निकट)	113.031 (60 मीटर से अधिक की लम्बाई वाली संरचनाओं की 769.45 मीटर लम्बाई को छोड़कर)	बिना वार्षिक वृद्धि के ऊपर सारणी 1 में उल्लिखित आधार दरों का 75%	112.851 (60 मीटर से अधिक लम्बाई वाली संरचनाओं की 949.45 मीटर लम्बाई को छोड़कर)	ऊपर सारणी–1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित संरचनाओं जिनकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है, के उपयोग के लिए ऐसी संरचनाओं की लम्बाई को समकरण गुणक 10 से गुणा करके राजमार्ग की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तित करते हुए, निम्नलिखित टोल प्लाजा (प्लाजाओं) पर निम्नलिखित शुल्क भी शोध्य और संदेय होगाः

क्रम संख्या	टोल प्लाजा का अवस्थान (डिजाइन चैनेज)	लम्बाई (कि.मी.) जिसके लिए शुल्क संदेय है					
		निर्माण अवधि के दौरान			छह लेन निर्माण के पश्चात्		
		सड़क की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तित किए जाने हेतु	सड़क की समकक्ष लम्बाई (कि.मी. में)	दर जिस पर शुल्क संदेय है	सड़क की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तित किए जाने हेतु	सड़क की समकक्ष लम्बाई (कि.मी. में)	दर जिस पर शुल्क संदेय है

		संरचनाओं की लम्बाई (कि. मी. में)			संरचनाओं की लम्बाई (कि.मी. में)		
1.	रा.रा.—8 के 348. 450कि.मी. (विद्यमान चैनेज) (उदयपुर जिले के खांडी ओबरी गांव के निकट)	0.76945(i) मीटर	7.6945	बिना वार्षिक वृद्धि के ऊपर सारणी—1 में उल्लिखित आधार दरों का 75%	0.94945(ii) मीटर	9.4945	ऊपर सारणी—1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%

(i) (60 मीटर से अधिक लम्बाई वाली) संरचनाओं का विवरण निम्न प्रकार है:

क्रम संख्या	संरचना का अवस्थान	संरचना का नाम	लम्बाई (मीटर)
1.	303.200 कि.मी. पर	बड़ा पुल	80.000
2.	400.585 कि.मी. पर	उत्थित संरचना	443.000
3.	341.650 कि.मी. पर	बड़ा पुल	134.350
4.	390.288 कि.मी. पर	बड़ा पुल	112.100
		;kx	769-450

(ii) (60 मीटर से अधिक लम्बाई वाली) संरचनाओं का ब्यौरा निम्न प्रकार है:

क्रम संख्या	संरचना का अवस्थान	संरचना का नाम	लम्बाई (मीटर)
1.	303.200 कि.मी. पर	बड़ा पुल	80.000
2.	400.585 कि.मी. पर	उत्थित संरचना	443.000
3.	341.650 कि.मी. पर	बड़ा पुल	134.350
4.	390.288 कि.मी. पर	बड़ा पुल	112.100
5.	336.550 कि.मी. पर	फ्लाइओवर	90.000
6.	352.260 कि.मी. पर	फ्लाइओवर	90.000
		;kx	949-450

3. यदि परियोजना के पूरा होने में देरी होती है तो परियोजना को पूरा करने की निधोरित तारीख (नियत तारीख से 910 दिन) और परियोजना के पूरा करने की वास्तविक तारीख के बीच देरी की अवधि के लिए कोई प्रयोक्ता शुल्क उद्ग्रहीत नहीं किया जाएगा। इस नियम के प्रयोजनों के लिए, परियोजना के अनंतिम रूप से पूरा होने को परियोजना का पूरा हो जाना नही माना जाएगा।

4. जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन, गैर—वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह टोल प्लाजा से बीस किलोमीटर तक की दूरी में ही रहता हो, उसके लिए वर्ष 2017—18 के लिए मासिक पास की दर 245.00 रूपए (दो सौ पैंतालीस रूपए मात्र) होगी और राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 के प्रावधानों के अनुसार उसमें प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जायेगा।

5. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किया जाएगा, अर्थात्:

संदेय राशि	अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	विधिमान्यता की अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	संदाय के समय से चौबीस घंटे
पचास या अधिक एकल यात्राओं के लिए संदेय शुल्क की राशि का दो—तिहाई	पचास या अधिक	संदाय की तारीख से एक मास

6. जिस जिले में शुल्क प्लाजा पड़ता है उस जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परमिट के अधीन चल रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के वाहन के लिए निर्धारित शुल्क का 50% होगा बशर्ते कि ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड अथवा वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो ।

MediaCode

7. जो यांत्रिक वाहन अपनी श्रेणी के लिए निर्धारित अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदा हुआ होगा उसके चालक अथवा मालिक अथवा प्रभारी व्यक्ति को राष्ट्रीय राजमार्ग पर अधिक भार से लदे हुए ऐसे वाहन को प्रवेष कराने के लिए टोल संग्रहण एजेन्सी को यांत्रिक वाहनों की ऐसी श्रेणी के लिए लागू शुल्क के 10 गुना के बराबर शुल्क का भुगतान करना होगा और उसे राजमार्ग खण्ड को उपयोग की अनुमति तब तक नहीं होगी जब तक ऐसे यांत्रिक वाहन पर लदा हुआ अधिक भार हटा नहीं दिया जाता।

8. यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूट प्राप्त वाहनों के श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं उक्त नियम में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी।

9. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा ।

10. उपर सारणी–1 में यथा–उल्लिखित आधार वर्ष 2007–08 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दर के आधार पर, यांत्रिक वाहनों से लिए जाने वाले वास्तविक षुल्क और छूट की गणना राजमार्ग परियोजना की पूरी कर ली गई लम्बाई हेतु प्राधिकरण द्वारा की जाएगी । उसे प्राधिकरण द्वारा रियायतग्राही के माध्यम से अंग्रेजी तथा स्थानीय भाषा के कम–से–कम एक–एक समाचार पत्र में प्रकाषित करवाया जाएगा और तत्पष्चात् उसमें उक्त नियम 5 तथा रियायत करार के प्रावधानों के अनुसार वार्षिक तौर पर संषोधन किया जाएगा तथा उसे प्रकाषित किया जाएगा, परन्तु शर्त यह है कि वाणिज्यिक परिचालन की तारीख से छह महीनें की अवधि के अन्दर कोई संषोधन नहीं किया जाएगा ।

[फा. सं भाराप्रा/13013/570/सीओ/16–17/जीसी/रा रा–8 सेक्षन का 287.400 कि.मी. से 401.200 कि.मी. तक बी ओ टी]

दक्षिता दास, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st June, 2017

S.O. 1964(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 78 (E) dated 04.02.1999, issued under Section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the stretch from km 0.000 to km 388.000 (Ajmer-Rajasthan /Gujarat Border) and from km 388.000 to km 516.00 (Rajasthan/Gujarat Border – Ahmedabad) of National Highway No. 8 in the State of Rajasthan to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the "Authority");

And whereas, in exercise of the powers conferred by Section 7 of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) read with Rule (3) of the National Highway Fee (Determination of Rates and Collection) Rules 2008, the Central Government by notification of the Government of India authorized Authority for levying and collecting fee on mechanical vehicles for the use of stretches as follows:

(i) Vide S.O.No. 1714(E), dated 26th July, 2012 for the stretch from km 278.000 to km 348.000 in the State of Rajasthan (total length being 70.000 km) on National Highway No. 8.

(ii) Vide S.O.No. 2623(E), dated 30th October, 2012 for the stretch from km 348.000 to km 388.000 in the State of Rajasthan and from km 388.000 to km 388.180 in the State of Gujarat (total length being 40.180 km) on National Highway No. 8.

And whereas, pursuant to the provision of Section 14 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Authority has entered into an Agreement (hereinafter referred to as said agreement) with M/s Udaipur Tollway Pvt. Ltd., Chandivali Road, Saki Naka, Andheri (East), Mumbai - 400072, (hereinafter referred to as the "Concessionaire"), for the bid submitted on 29.07.2016 for the development of section from km 333.585 (design chainage) (existing chainage km 287.400) to km 447.385 (design chainage) (existing chainage km 401.200) (hereinafter referred to as the "said section") of the NH-8 in the state of Rajasthan & Gujarat to Six lane through Public Private Partnership under NHDP Phase-V on Design, Build, Finance, Operate and Transfer (DBFOT) basis;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 8A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 vide G.S.R. 838 (E) dated the 5th Dec, 2008, and amended vide G.S.R 950(E) dated 3rd December, 2010, G.S.R 15(E) dated 12th January, 2011, G.S.R 756(E) dated 12th October,2011 and G.S.R 778 (E) dated 16th December,2013, G.S.R 26(E) dated 16th January, 2014, G.S.R 831(E) dated 21st

November,2014, G.S.R. 2(E) dated 29th December, 2014, G.S.R 220(E) dated 23rd March, 2015 and G.S.R 585(E) dated 08th June, 2016 and in supersession of the Notification Number S.O.No. 1714(E), dated 26th July, 2012 and S.O. No. 2623(E) dated 30th October, 2012, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, having regard to the expenditure involved in building, maintenance, management and operation of the said Section of said National Highway, interest on the capital invested, reasonable return, the volume of traffic and the period of said agreement entered between the Authority and the Concessionaire, hereby notifies that there shall be levied and collected fees on mechanical vehicles at the rate specified in column (2) of the Table 1 for total equivalent road length of 120.7255 km [including 113.031 km road and 769.45 m of structures (having length more than 60m) with equivalent length of 7.6945 km] (during construction period) and for total equivalent road length of 122.3455 km [including 112.851 km road and 949.45 m of structures (having length more than 60m) with equivalent length of 9.4945 km] (after completion of six laning) for use of four and more lane sections (hereinafter referred to as "base rate") on the Type of Vehicles specified in column (1) of the Table 1 below and authorizes the said Concessionaire to collect and retain the fee on and from the date of Commercial Operation (COD) and on getting the Completion Certificate or the Provisional Certificate, as the case may be, from the Authority or publication of this Notification in the Official Gazette, whichever is later, till the termination date as specified in the agreement. This fee notification shall be effective from the Appointed Date of the BOT project.

Table 1

Type of vehicle	**Base rate of fee per km* for NH section of four or more lanes for the base year 2007-08 (in Rupees)**
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

IndiaCode

1. The fee levied and collected hereunder shall be due and payable at the following Toll Plaza(s) for the distance specified for such Toll Plaza(s):

Location of Toll Plaza(s) (chainage)	During Construction Period		After Construction of Six Laning	
	Length (in km) for which Fee is payable	Rate at which Fee is payable	Length (in km) for which Fee is payable	Rate at which Fee is payable
Km. 348.450 (Existing chainage) of NH-8 (near Khandi Obri village in Udaipur district)	113.031 (Excluding 769.45 m length of structures having length more than 60 m)	75% of the base rates mentioned in Table-1 above, without any annual increase.	112.851 (Excluding 949.45 m length of structures having length more than 60 m)	100% of the base rates mentioned in Table-1 above

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60 m at the following Toll Plaza(s), by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalization factor of 10:

S. No.	Location of Toll Plaza (Design Chainage)	Length (in km) for which Fee payable					
		During Construction Period			After Construction of Six-laning		
		Length of structures (in km) to be converted into equivalent road length	Equivalent road length (in km)	Rate at which fee is payable	Length of structures (in km) to be converted into equivalent road length	Equivalent road length (in km)	Rate at which fee is payable
1.	Km. 348.450 (Existing chainage) (near Khandi Obri village in Udaipur district)	0.76945(i)	7.6945	75% of the base rates mentioned in Table-1 above, without any annual increase.	0.94945(ii)	9.4945	100% of the base rates mentioned in Table-1 above

(i) The details of structures (> 60 m length) are as under:

Sl. No.	Location of Structure	Name of the Structure	Length (m)
1.	At Km 303.200	Major Bridge	80.000
2.	At Km 400.585	Elevated Structure	443.000
3.	At Km 341.650	Major Bridge	134.350
4.	At Km 390.288	Major Bridge	112.100
		Total	**769.450**

(ii) The details of structures (> 60 m length) are as under:

Sl. No.	Location of Structure	Name of the Structure	Length (m)
1.	At Km 303.200	Major Bridge	80.000
2.	At Km 400.585	Elevated Structure	443.000
3.	At Km 341.650	Major Bridge	134.350
4.	At Km 390.288	Major Bridge	112.100
5.	At Km 336.550	Flyover	90.000
6.	At Km 352.260	Flyover	90.000
		Total	**949.450**

3. No user fee shall be levied for the delayed period between the Scheduled date of completion (910 days from the Appointed Date) and the date of actual completion of the project, if it is delayed. For the purposes of this rule, any provisional completion of the project shall not be treated as completion of the project.

4. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometers from the toll plaza is Rs. 245.00 (Rupees Two Hundred Forty Five only) for the year 2017-18 which is subject to revision every year as per the provisions of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008.

5. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely;

Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty or more single journeys	Fifty or more	One month from date of payment

6. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under national permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the prescribed rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

7. The driver or owner or a person in charge of a Mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the toll collecting agency, equal to ten times of the fee applicable to such category of mechanical vehicle and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

8. All definitions, category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road etc. shall be as per definitions specified in the Rules.

9. The Fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rules 12 of the said Rules.

10. Based on the Base Rate of Fee per km for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the basis of completed length of the Project Highway. The same shall be got published by the Authority through the Concessionaire in at least one newspaper, each in English and vernacular language and thereafter revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and provision of Concession Agreement and got published, provided that no revision shall be effected until a period of 6 (six) months has elapsed from COD.

[NHAI/13013/570/CO/16-17/GC/ km 287.400 to km 401.200 of NH-8 Section BOT]

DAKSHITA DAS, Jt. Secy.

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL
Date: 2017.06.22 18:41:35 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.